

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर(म.प्र.)

फोन नं. 07582-236270

फैक्स नं. 07582-236457

क्रमांक 7090/स्था./राज0/19

सागर, दिनांक 01/10/19

// विज्ञप्ति सूचना //

मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 (शैक्षणिक संवर्ग) के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर में निम्नलिखित पदों पर संविदा आधार पर एक मुश्त मासिक वेतन में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में दिनांक 05/10/2019 समय 12:00 बजे तक जमा किए जावेंगे तथा साक्षात्कार हेतु वाक-इन-इंटरव्यू दिनांक 05/10/19 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित किये जावेंगे।

क्रमांक	पद का नाम	विभाग	पद संख्या	श्रेणी	कुल परिलब्धियां	
					निजि प्रेक्टिस करने वाले आवेदक	निजि प्रेक्टिस नहीं करने वाले आवेदक
1	सहायक प्राध्यापक	जनरल मेडिसिन	01	अनारक्षित	69,524/-	85,780/-
2	सह प्राध्यापक	शिशुरोग विभाग	01	अनारक्षित	1,23,350/-	1,52,820/-

- उपरोक्त विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर म0प्र0 की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
- साक्षात्कार बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में आयोजित किया जावेगा। रिक्त पदों की संख्या कमी/वृद्धि या विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है। आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। आवेदक नई सूचनाये हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

नोट:- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC(अनुसूचित जाति) ST(अनुसूचित जनजाति) OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग) F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है ।
पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है ।

- | | | | |
|------------------|---|---------|--------|
| 1. आयु सीमा | — | न्यूनतम | अधिकतम |
| सह प्राध्यापक | — | 30 वर्ष | 65 |
| सहायक प्राध्यापक | — | 25 वर्ष | |
- टीप- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवारी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी ।
- भर्ती में आरक्षण बिंदुओं अ0जा0/अ0ज0जा0/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
 - जाति प्रमाण पत्र: आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
 - अर्हतायें:-
 - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिये निर्धारित अर्हता।
 - ऐसे विषयों में जहां गैर चिकित्सकीय शैक्षणिक अर्हता के अभ्यर्थी आवेदन की पात्रता रखते हैं, पर उनके आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा जबकि उस पद के लिये मेडिकल डिग्री धारी उपयुक्त आवेदक न हो।
 - अवकाश पात्रता :- अस्थाई शासकीय सेवकों के समान आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
 - निरर्हतायें:-
 - विकृत चित्त वाला होने पर।
 - दुष्चरित्र होने पर।
 - शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो ।
 - नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हतकारी माना जायेगा।
 - विवाह संबंधी-जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा । कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसी महिला/ पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।
 - दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस पश्चात् जिस उम्मीदवार में जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् द्वितीय प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म हाता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा ।
 - कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
 - कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
 - ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।
 - स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।
 - (अ) ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा ।
(ब) इस संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी ।

6. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो-दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।
7. आवेदन शुल्क :-
सह प्राध्यापक अनारक्षित/ओबीसी श्रेणी रु. 2000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) - रु.1000/- सहायक प्राध्यापक अनारक्षित/ओबीसी श्रेणी रु. 1000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) - रु.500/- अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Dean&CEO) बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा । बैंक डाफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें ।
8. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में दिनांक 05/10/2019 समय 12:00 बजे तक जमा किए जावेंगे तथा साक्षात्कार हेतु वाक-इन-इंटरव्यू दिनांक 05/10/19 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- 9 चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
10. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर उपलब्ध है ।

महत्वपूर्ण टीप:-

- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आषय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी ।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि / / 19)

नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जाना अनिवार्य है।

1. बैंक ड्राफ्ट - क.....

दिनांक राशि.....

बैंक का नाम-

स्वप्रमाणित

फोटो

2. आवेदक का नाम.....

3. पुरुष/महिला

4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

शहर का नाम फोन नं.....

मोबाईल नंबर..... ई-मेल आई डी.....

6. स्थाई पता.....

शहर का नाम फोन नं.....

मोबाईल नंबर.....

7. आधार कार्ड नम्बर

8. जन्मतिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....

9. दिनांक / / 2019 को आवेदक की आयु..... दिन..... माह..... वर्ष

10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित

11. विवाह का दिनांक

3 सहायक प्राध्यापक

Sr. No	Topic of Research	Name of Journal	Type of research paper	Date of publication	Indexing Agency	Authorship/First /Second /Corresponding	E- Journal of print or both	E-ISSN print ISSN Number	Spesility of Journal	Published by National/ State/International Society

4 ट्यूटर/प्रदर्शक

Sr. No	Topic of Research	Name of Journal	Type of research paper	Date of publication	Indexing Agency	Authorship/First /Second /Corresponding	E- Journal of print or both	E-ISSN print ISSN Number	Spesility of Journal	Published by National/ State/International Society

17. शैक्षणिक अनुभव

Sr.n	Designation	Department	Name of Institution	From DD/MM/YY	To DD/MM/YY	Total Experience in years & months
1	Junior Resident					
2	Senior Resident					
3	Tutor					
4	Assistant Professor					
5	Associate Professor					
6	Professor					

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची.....

स्थान

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा पत्र //

- 1- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा
सकेगा।
- 2- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय
द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी
भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर